न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 139/2021

उनवान

1. मणीलाल पिता श्यामजी कतिजा निवासी कोईवाव ग्राम पंचायत नवाघरा पंचायत समिति अरथूना तहसील अरथूना, जिला बाँसवाड़ा।

—: प्राथी

बनाम

1. पुंजा पिता नाथु जाति भील निवासी कोईवाव ग्राम पंचायत नवाघरा पंचायत समिति अरथूना तहसील अरथूना, जिला बाँसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील अरथूना, जिला बाँसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 राजस्थान उपनिवेश (माही परियोजना के सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय), नियम 1984

निर्णय

दिनांकः29.7.2025

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व व अधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 279/113 रकबा 0.08 एयर किस्म मंगरी वाके ग्राम कोईवाव पटवार हल्का नवाघरा तहसील अरथुना में स्थित है। जिस पर प्रार्थी के समाज के सिरा बावसी एवं पास में ही आंगनवाड़ी भवन स्थित होकर उक्त भुमि वर्षो से ग्रामीणजन उपयोग—उपभोग कर रहे हैं। उक्त भुमि पर प्रार्थी के समाज का हक एवं अधिकार होकर वर्तमान समय में भी उक्त भुमि पर प्रार्थी एवं उनके समाजजन उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे हैं । प्रार्थी के समाज स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 279 / 113 रकबा 0.08 एयर किस्म मंगरी एवं खसरा नम्बर 113 रकबा 0. 26 एयर कुल रकबा 0.32 एयर पर काबिज होकर उपयोग—उपभोग कर रहा है। वर्तमान में भी प्रार्थी का समाज उक्त खसरा नम्बरान की भुमि पर काबिज होकर उपयोग—उपभोग कर रहा है। उक्त भुमि में अवैध रूप से गैर खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 279/113 रकबा 0.08 एयर किस्म मंगरी श्री पुंजा पिता नाथु भील के नाम अवैध रूप से आंवटीत करवा दी गई है। किन्तु उक्त भुमि पर श्री पुंजा पिता नाथु का कब्जा नहीं है। न ही उक्त भुमि कभी उक्त व्यक्ति ने कृषि काश्त या उपयोग—उपभोग में ली है। जबकि उक्त भुमि ग्रामीणों ने खसरा नम्बर 279/113 रकबा 0. 08 एयर किस्म मंगरी एवं 113 रकबा 0.26 एयर किस्म मंगरी कुल 32 एयर पर गांव हित में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजकीय क्षेत्र के लिए आरक्षित के लिए पूर्व में भी प्रस्ताव दिये गए थे एवं उक्त भुमि पर आंगनवाड़ी भवन व सीरा बावसी सहित गांव के लोग उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अप्रार्थी अवैध तरिके से आवंटीत भुमि खसरा नम्बर 279/113 रकबा 0.08 एयर [illegible] पर उक्त व्यक्ति दिनांक 19/05/2021 को जे.सी.बी. लेकर अतिक्रमण [illegible] भुमि साफ—सफाई एवं वृक्षों को हटाकर कृषि काश्त करने योग्य [illegible] जिससे धार्मिक भावनाऐं आहत् हो रही थी जिस पर गांव में विवाद हो गया एवं उन [illegible] को ध्यान में रखते हुए [illegible] 24/05/2021 को मौका निरीक्षण किया गया एवं [illegible] जनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित [illegible] आवश्यक है। लेकिन उक्त अप्रार्थी द्वारा गलत तरिके से अपना कब्जा बताकर अपने नाम गलत तरिके से आवंटन करा लिया, जो कि उक्त आवंटन निरस्त काबिल है । उक्त अप्रार्थी ने मिलीभगत कर गैर कानुनी व असंवैधानिक रूप से अपने नाम आवंटन कराने का

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

कृत्य गलत पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर आवंटन इस प्रकार का सम्पूर्ण आवंटन अवैधानिक व गैर कानुनी होने से काबिल निरस्ती योग्य है । अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त भुमि पर प्रार्थी को डरा धमकाकर हडपने का प्रयास किया जा रहा है तथा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 01 सद्भावी कृषक नहीं था, न ही अप्रार्थी संख्या 01 सद्भावी कृषक हैं। इसलिए भी आवंटन काबिल निरस्ती योग्य है। अप्रार्थीगण ने आवंटन के बाद न तो कब्जा प्राप्त किया है, न कभी काश्त की है एवं उक्त आवंटन मात्र पेपर एलोटमेन्ट है। जिस कारण उक्त आवंटन काबील खारीज के है । अप्रार्थी नम्बर 01 को कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रार्थी या समाज की उक्त भुमि को बिना किसी कारण या सुचना या अधिकार के अपने नाम आवंटन कर दें, न ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिस कारण माही एलोटमेन्ट संख्या 15 (5) (4) में "if it descovered at any time that any ifrormation submitted by any applicant is false to cultivate tha land personally the entire land allotted may be he alloting authority with out payment of commensation" जो कि अप्रार्थी नम्बर 01 के नाम आवंटन हुआ है काबील निरस्ती है एवं इसी धारा में यह भी वर्णित है कि कोई गलत सुचना दी गई हो तो आवंटन खारिज किया जा सकता है। जिस कारण भी अप्रार्थी नम्बर 01 का आवंटन काबील निरस्ती है। धारा 13(B) में यह वर्णित किया गया है कि ÞAn allottee shall be bound to cultivate whole of the allotted land in two years- On his failure to fulfil this condition] the allottment of land shall be liable to cancllation by the allottiong authority-
अप्रार्थी ने आवंटन दिनांक के बाद न तो आवंटित खसरा नम्बर का कब्जा प्राप्त किया है, न कभी काश्त की है व उक्त आवंटन मात्र पेपर एलोटमेन्ट है, जिस कारण अप्रार्थी नम्बर 01 के नाम किया गया उक्त आवंटन काबील निरस्ती है। प्रार्थी को उक्त आवंटन के सम्बन्ध में अभी कुछ दिन पूर्व जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त की जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 279 / 113 रकबा 0.08 एयर किस्म मंगरी वाके ग्राम कोईवाव पटवार हल्का नवाघरा तहसील अरथुना की भुमि का आवंटन आदेश निरस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 17 माही कॉल. एक्ट पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री पवन लुहार अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। प्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की नहीं है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा होकर नियमानुसार अप्रार्थी को भूमि आवंटीत हुई है। तथा अप्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग लगातार करता चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का वर्षो का कब्जा होकर नियमानुसार आवंटन हुआ हैं। तथा अप्रार्थी ने नियमानुसार राज्य सरकार को आवंटन राशि अदा की है। प्रार्थी के पास इस भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी का आवंटन नियमानुसार विधि सम्मत तरीके से आवंटन सलाहकार समिति की रिपोर्ट व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर हुआ है जो खारीज नहीं किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार अरथुना द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि पटवार हल्का नवाघरा के मौजा कोईवाव के खाता संख्या 20 खसरा संख्या 279/113 रकबा 0.08 हे. किस्म मगरी खातेदार पुंजा पिता नाथु भील, लुजा पिता जीवा जाति सरगडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि वर्तमान में काश्त नहीं होकर पड़त है। उक्त भूमि पर सम्बन्धित गैर खातेदार द्वारा भूमि सुधार हेतु पूर्व में जेसीबी मशीन चलाई गयी थी, जहा से

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्रामीणों के मुताबिक उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्रामवासियों द्वारा रखी गई थी। उक्त खसरा संख्या के पश्चिम दिशा में खाता संख्या 01 खसरा संख्या 113 रकबा 0.26 किस्म मगरी बिलानाम नाकाबिल काश्त भूमि पर ऑगनवाडी भवन एवं सिरा बावसी स्थित है। खसरा संख्या 113 पर गैर खातेदार द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाकर आवंटित खसरा संख्या 279/113 पर ही भूमि सुधार का कार्य किया गया। साथ ही तहसीलदार, गढ़ी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौका स्थिति देखने पर यह जाहिर होता है कि संबंधित गैर खातेदार द्वारा पूर्व में काश्त नहीं की गयी है। रिपोर्ट मय मौका पर्चा, जमाबंदी व नक्षा ट्रेस प्रस्तुत की गई।

राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते, 1955 की धारा 20 काश्तकारों के लिए अतिरिक्त प्रसंविदायें :— यदि अनुदान कृषि प्रयोजन के रूप में हो, तो अनुदानग्रहीता, चाहे गौर– खातेदारी काश्तकारी के रूप में या खातेदारी अधिकारों के प्रदान किये जाने से, निम्नलिखित अतिरिक्त बाध्यताओं से आबद्ध होगा तथा रहेगा और उनके सम्यक् सम्पादन तथा पालन करने के लिए एक प्रसंविदा किया हुआ होना समझा जायेगा :—

(1) भूमि की क्षति – भूमि का इस रूप में उपयोग, काश्त या प्रबन्ध न करना, जिससे कि वह कृषि प्रयोजन के अनुपयुक्त हो जाये।

(2) अनुदान के प्रारम्भ की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अनुदान के कृषि योग्य क्षेत्र के एक तिहाई भाग को काश्त के अधीन लाना तथा उसके बाद सदैव आधे क्षेत्र को काश्त के अधीन रखना :

[2][परंतु सभी प्रकार के नये आवंटी, जैसे भूतपूर्व जागीरदार, भूमिहीन काश्तकार, भूमिपूर्व सैनिक, निष्कासित मुसलमान, ग्राम पंचायतें, निर्योग्य भूतपूर्व सैनिक, तथा भूतपूर्व प्रतिरक्षाकर्मियों के आश्रित, राजनैतिक पीड़ित, शौर्य पुरस्कार धारक, भाखड़ा (पंजाब) के घोषित भूमिहीन काश्तकार, विस्थापित कृषक या बहिष्कृत किए गए व्यक्ति, गाडोलिया लोहार एवं आंवटियों के समस्त अन्य विशेष प्रवर्ग, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नियत मूल्य पर उपनिवेश में भूमि आवंटित की जा चुकी है या आंवटित की जानी है, कब्जा सौंपे जाने की तिथि के दो वर्ष के भीतर आवंटित की गई समस्त भूमि को अधिभोग में लेने और उस पर काश्त करने के लिए आबद्ध होंगे। यदि दो वर्ष के भीतर भूमि पर काश्त नहीं की जाती है, तो आवंटी को भूमि को काश्त के अधीन लाने के लिए एक सूचना जारी की जायेगी और तब भी यदि भूमि पर कलक्टर के समाधान स्वरूप तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि पर काश्त नहीं की जाती है, तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा और भूमि किसी प्रतिकर का संदाय किए बिना राज्य सरकार को पुनर्ग्रहित हो जाएगी :

राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1984 के नियम :—

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:54 IST
Reason: Self Attested

13 (ख) आवंटी सम्पूर्ण आवंटी भूमि [illegible] के भीतर काश्त करने के लिए आबद्ध होगा। इस शर्त को पूर्ण करने में उसके विफल रहने पर भूमि का आवंटन, आवंटन प्राधिकारी द्वारा रद्द किये जाने के लिए दायी होगा और आवंटन के रद्दकरण पर ऐसी भूमि विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार [illegible] जावेगी तथा आवंटी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

15 (4) (iv) यदि किसी समय यह प्रकट हो कि किसी आवेदक द्वारा दी गई कोई सूचना असत्य है या कोई आवंटी भूमि पर व्यक्तिगत रूप से काश्त करने में विफल रहा है,

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

तो आवंटित सम्पूर्ण भूमि प्रतिकर का संदाय किये बिना आवंटन प्राधिकारी द्वारा पुनर्ग्रहीत की जा सकेगी।

17. आवंटन का रद्दकरण :– (1) यदि किसी समय यह प्रकट हो कि इन नियमों के अधीन किया गया सरकारी भूमि का कोई आवंटन, आवंटी द्वारा पेश किये गये आवेदन में या किसी अन्य दस्तावेज में तथ्यों के गलत कथन पर हुआ है, तो आवंटन प्राधिकारी, ऐसे आवंटन को रद्द करने का आदेश दे सकेगा और किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना भूमि में पुनः प्रवेश करने तथा उसका कब्जा लेने का कोई भी आदेश दे सकेगा :

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन व भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2075–78 के आवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी श्री पुंजा पिता नाथु जाति भील निवासी कोईवाव को वर्ष 1989 में आवंटित हुई थी। जिस पर आवंटी का पूर्व में कब्जा नही था। तथा वर्तमान में भी कब्जा नहीं है आवंटी द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किये जाने पर ग्रामवासियों द्वारा उसका विरोध किया जाता रहा है। आवंटी द्वारा उक्त भूमि पर काश्त नहीं की जा रही है।

अतः पटवार हल्का नवाघरा के मौजा कोईवाव की खाता संख्या 20 नयी 21 पुरानी के खसरा 279/113 रकबा 0.08 हे0 भूमि का खातेदार पुंजा पिता नाथु जाति भील निवासी कोईवाव के हक में दिनांक 3.5.1989 को किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। खसरा संख्या 279/113 रकबा 0.08 हे0 भूमि पुनः सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तथा तहसीलदार अरथूना को निर्देशित किया जाता है। कि मौजा कोईवाव के खसरा 279/113 रकबा 0.08 हे0 भूमि कब्जे राज लियाजाय।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner